

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन (म.प्र.)

प्रश्न सं. [क. 4593]

क्रमांक/शिकायत/विधानसभा/2021/1965
प्रति,

उज्जैन, दिनांक 9-3-21

प्रभारी अधिकारी
(विधानसभा प्रकोष्ठ)
उज्जैन

विषय:- शिकायतों पर जांच न करने के संबंध में।
(अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4593-श्री राजेश कुमार प्रजापति)


विषयांकित निवेदन है कि विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4593 का उत्तर निम्नानुसार सादर प्रेषित है।


प्रश्न	उत्तर
(क) जिला उज्जैन सी.एस.आर. एक्ट 2013 के तहत मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज बिड़लग्राम नागदा में उक्त कानून के तहत नागदा तथा आसपास के आंचलिक क्षेत्रों में गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष अनुसार कितनी-कितनी राशि के विकास कार्य किए हैं ?	इस शाखा से संबंधित नहीं।
(ख) क्या नागदा शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में ग्रेसिम के द्वारा सीएसआर के तहत किए कार्यों में घोटाले के आरोप तथा सीएसआर राशि का धरातल पर भौतिक सत्यापन करने की मांग को लेकर कलेक्टर उज्जैन को वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थी ?	निरंक शिकायतें प्राप्त हुई।
(ग) क्या उक्त शिकायतों पर कार्यवाही की गई थी ? हां या नहीं यदि हां तो कार्रवाई से संबंधित विवरण उपलब्ध कराएँ। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें ?	निरंक
(घ) जनसरोकर से जुड़ी शिकायतों कितने दिनों से लंबित पड़ी है? क्या सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त शिकायतों का समय सीमा पर जांच ना करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश जारी करेंगे ? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों ?	निरंक

पृ. क्रमांक/शिकायत/विधानसभा/2021/
प्रतिलिपि-

1. प्रभारी अधिकारी (विधानसभा प्रकोष्ठ) उज्जैन की ओर सूचनार्थ।

मठाप्रबंधक जिला उज्जैन


प्रभारी अधिकारी
वास्ते कलेक्टर जिला उज्जैन
उज्जैन, दिनांक


प्रभारी अधिकारी
वास्ते कलेक्टर जिला उज्जैन